भाग ख
पूंजी प्राप्तियां

पूंजी प्राप्तियों के अनुमान

निम्न विवरण में पूंजी प्राप्तियों के अनुमानों का मोटे तौर पर श्रेणीवार-ऋण-भिन्न और ऋण प्राप्तियों दोनों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2008-09 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच होने वाली घट-बढ़ का स्पष्टीकरण देने वाली संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ ब्यौरा और सं.अ. 2008-09 और बजट अनुमान 2009-10 के बीच अंतर इस विवरण के बाद की टिप्पणियों में दिया गया है। विवरण में शामिल उधार और अन्य ऋण वापसी-अदायगियों को घटाकर दिये गये हैं।

(करोड़ रुपए)

	बजट 2008-09	संशोधित 2008-09	बजट 2009-10
क. ऋण-भिन्न प्राप्तियां			
1. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	4497.51	9698.29	4224.89
2. विविध पूंजी प्राप्तियां	10165.00	2566.51	1120.00
ख. ऋण प्राप्तियां			
3. बाजार ऋण	100571.00	261972.00	397957.46
4. अल्पावधिक उधार	12429.00	57500.00	0.00
5. विदेशी ऋण (निवल)	10989.27	9603.20	16046.57
6. लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां	9872.52	1323.45	13255.52
7. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	4800.00	4800.00	5000.00
8. अन्य प्राप्तियां (निवल)	(-) 12600.22	(-) 38667.57	(-) 31263.82
ग. जोड़-पूंजीगत प्राप्तियां	**140724.08**	**308795.88**	**406340.62**
9. नकद शेष का आहरण द्वारा कमी	7224.34	29984.00	...
घ. राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के सम्बन्ध में ऋण प्राप्तियां	**133285.91**	**326515.08**	**400995.73**
ङ. एमएसएस के अन्तर्गत प्राप्तियां (निवल)	**29806.00**	**(-) 81780.99**	**(-) 38772.78**

1. **ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां**

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल सहित) और अन्य जिसमें विदेशी सरकारें और सरकारी क्षेत्र के उद्यम/सांविधिक निकाय आदि शामिल हैं, इस प्रकार हैः-

(करोड़ रुपए)

	बजट 2008-09	संशोधित 2008-09	बजट 2009-10
वसूलियांः			
(i) राज्य सरकारों से	2563.20	8125.68	2549.21
(ii) संघ राज्य क्षेत्रों से (विधानमंडल सहित)	102.94	111.48	111.49
(iii) अन्य	1831.37	1461.13	1564.19
(क) विदेशी सरकारों से	*97.63*	*252.20*	*257.55*
(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, सांविधिक निकायों आदि से	*1733.74*	*1208.93*	*1306.64*
जोड़-ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	**4497.51**	**9698.29**	**4224.89**
(क) राज्य सरकारों से वसूलियों में अल्पावधिक अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित नहीं हैं	1000.00	1000.00	1000.00
(ख) सरकारी कर्मचारियों आदि से की गयी वसूलियों, जिन्हें व्यय बजट में से घटाया जाता है, को छोड़कर अन्यों से की गयी वसूलियां	495.00	495.00	495.00

(i) **राज्य सरकारों से वसूलियांः** राज्य सरकारों से प्राप्तियों का अनुमान सं.अ. 2008-09 में 8125.68 करोड़ रुपए तथा ब.अ. 2009-10 में 2549.21 करोड़ रुपए लगाया गया है। सं.अ. 2008-09 में प्राप्तियों में राज्य सरकारों की ऋण माफी शामिल है जिसे समतुल्य व्यय से प्रतिसंतुलित किया जाएगा।

(ii) **संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल सहित) से वसूलियां**ः ये वसूलियां संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को दिए गए ऋणों के संबंध में हैं।

(iii) **अन्यों द्वारा वापसी-अदायगीः** इनमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को छोड़कर अन्य पक्षों, अर्थात् विदेशी सरकारों, सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों तथा वित्तीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, पत्तन न्यासों, निजी क्षेत्र की कम्पनियों और संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि द्वारा ऋणों की वापसी अदायगियां शामिल हैं। इनका विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार हैः-

(करोड़ रुपए)

		बजट 2008-09	संशोधित 2008-09	बजट 2009-10
(क)	विदेशी सरकारें	97.63	252.20	257.55
(ख)	सरकारी क्षेत्र के उद्यम, सांविधिक निकाय, आदि	1733.74	1208.93	1306.64
जोड़		**1831.37**	**1461.13**	**1564.19**

2. विविध पूंजी प्राप्तियां

सं.अ. 2008-09 में 1165 करोड़ रुपए की विनिवेश प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है जो सरकारी इक्विटी के सीपीएसई में विनिवेश के कारण है। इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी), और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) में इक्विटि के एक लघु भाग का विनिवेश शामिल है। राष्ट्रीय निवेश निधि में इस राशि के अन्तरण का प्रावधान विनिवेश विभाग से संबंधित मांग संख्या 44 में किया गया है। सरकार ने एक "राष्ट्रीय निवेश निधि" (एनआईएफ) की स्थापना की है जिसमें चुनिंदा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से प्राप्त आय को सरणीकृत किया जाएगा। एनआईएफ निधियों का चुनिंदा सरकारी क्षेत्र के म्युचुअल फंडों में निवेश द्वारा व्यावसायिक रूप से प्रबंधन किया जाएगा ताकि इसकी मूलभूत निधि को निःशेष किए बिना सतत प्रतिफल प्राप्त हो सकें। लेनदेनों का लेखा-जोखा इस प्रकार रखा गया कि इन्हें घाटा तटस्थ बनाया जा सके। सं.अ. 2008-09 में सूटी को 899 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है।

इसके अतिरिक्त सं.अ. 2008-09 में 502.51 करोड़ रुपए की प्राप्ति गेल (242.47 करोड़ रुपए) और एनएमडीसी (260.04 करोड़ रुपए) द्वारा जारी बोनस शेयरों के कारण है।

ब.अ. 2009-10 में 1120 करोड़ रुपए की विनिवेश प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है जिसमें रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवाएं, कोचीन शिपयार्ड लि., टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेंट इंडिया लि., मैगनीज कोर इंडिया लि., राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. और सतलुज जल विद्युत निगम लि. में इक्विटी के एक लघु भाग का विनिवेश शामिल है। इसी राशि के राष्ट्रीय निवेश निधि में अन्तरण का प्रावधान विनिवेश विभाग से संबधित मांग सं. 44 में किया गया है।

3. बाजार ऋण

भारत सरकार वर्ष 1992-93 में शुरु की गई दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना के अंतर्गत बाजार ऋण जुटाती है। इन नीलामियों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में किया जाता है। यह योजना विशिष्ट ब्याज दरों पर ऋण जारी करके बाजार ऋण जुटाने की पहले की चल रही प्रथा से अलग थी। योजना के तहत नियत कूपन प्रतिभूतियों के अलावा, सरकार फ्लोटिंग रेट बांड (एफआरबी) जिनपर अर्ध वार्षिक आधार पर देय कूपन दर को नीलामी में निर्धारित विस्तार 'स्प्रेड' को जोड़कर वार्षिक आधार पर पुनःनिर्धारित किया जाता है, जो परिवर्तनीय आधार दर पर विगत तीन नीलामियों में 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों के कट आफ मूल्यों पर अंतर्निहित प्राप्तियों के औसत के रूप में परिकलित की जाती है; जीरो कूपन बांड, जिनपर कोई कूपन नहीं होता लेकिन ये कटौती मूल्य पर बेचे जाते हैं; पूंजी सूचकांकित बांड, जो मूल राशि में स्फीति-सूचकांकन प्रदान करते हैं, भी जारी करती है। वर्ष 2002-03 से केंद्र सरकार अपनी महत्वपूर्ण उधार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अर्ध-वार्षिक सांकेतिक बाजार उधार कैलेन्डर की घोषणा करती रही है।

दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से केंद्र सरकार के निवल बाजार उधारों का सं.अ. 261972 करोड़ रुपए है। 44028.22 करोड़ रुपए की राशि के भुगतान को हिसाब में लेने पर सकल बाजार उधार का सं.अ. 306000.22 करोड़ रुपए निर्धारित हुआ है।

वर्ष 2009-10 में दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से केंद्र सरकार को निवल बाजार उधारों का अनुमान 397957.46 करोड़ रुपए लगाया गया है। ब.अ. 2009-10 में सकल बाजार उधारों की राशि 451093.25 करोड़ रुपए रखी है जिसमें 53135.79 करोड़ रुपए की अनुसूचित वापसी अदायगी हिसाब में रखी गयी है। 2009-10 में वापसी अदायगियों के ब्यौरे के लिए अगला पैराग्राफ देखें।

बजट अनुमान 2009-10

2009-10 में प्रत्येक के सामने दर्शाए गए बकाया शेष सहित निम्नलिखित बाजार ऋण मोचन के लिए नियत हैंः

(करोड़ रुपए)

1.	6.65% सरकारी स्टॉक, 2009	8886.80
2.	11.99% सरकारी स्टॉक, 2009	13500.00
3.	11.50% ऋण, 2009	4504.74
4.	7% ऋण, 2009	1197.44
5.	भारत सरकार फ्लोटिंग दर बांड 2009	3000.00

6.	12.29% सरकारी स्टॉक, 2010	11500.00
7.	6.72% सरकारी स्टॉक, 2007/2012*	546.81
	जोड़	**43135.79**
जोड़ें:		
#8.	5.48% सरकारी स्टॉक, 2009	5000.00
#9.	5.87% सरकारी स्टॉक, 2009	5000.00
कुल जोड़		***53135.79***

* *2008-09 के लिए मोचन में 546.81 करोड़ रुपए भी शामिल हैं जो 6.72% सरकारी प्रतिभूतियां 2007/2012 के संबंध में हैं (मांग और रखे विकल्प सहित बॉण्ड जो वर्ष 2007 से व्यवहार्य हो गया है)। निवेशक द्वारा प्रयुक्त विक्रय विकल्प के संबंध में वर्ष 2007-08 में 2453.19 करोड़ रुपए की अदायगी पहले ही की जा चुकी है।*

\# *विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां।*

बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत जारी निम्नलिखित दिनांकित प्रतिभूतियां भी 2009-10 में मोचन हेतु देय है, जिसके लिए व्यय की पूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक के पास धारित पृथक एमएसएस नकद शेष से की जाएगी।

(करोड़ रुपए)

1.	6.65% सरकारी स्टॉक, 2009	16000.00
2.	5.48% सरकारी स्टॉक, 2009	17000.00
3.	5.87% सरकारी स्टॉक, 2010	11035.78
कुल जोड़		***44035.78***

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच पारस्परिक समझौता सरकार के अनुमोदित व्यय को पूरा करने के लिए सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के भाग के रूप में सामान्य नकदी खाता में एमएसएस नकदी खाता की राशि के एक भाग का अंतरण सुकर बनाने के लिए एमएसएस संबंधी समझौता ज्ञापन में संशोधन किया गया है। एमएसएस के तहत जारी सरकारी प्रतिभूतियों की समतुल्य राशि भारत सरकार के सामान्य बाजार उधार के भाग के रूप में होगी।

इस संशोधन के अनुसरण में 2008-09 और 2009-10 के दौरान एमएसएस नकदी खाते से किस्तों में 45000 करोड़ रुपए का अंतरण भारत सरकार के सामान्य नकदी खाते में होगा।

विशेष प्रतिभूतियों का रुपांतरण/पुनःपूंजीकरण बॉण्ड

भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान विपणनीय प्रतिभूतियों में तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के एवज में जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों का रुपांतरण पूरा कर लिया है। प्रतिभूतियों को रुपांतरित कर जारी किए गए विपणनीय प्रतिभूतियों के ब्यौरे अनुबंध 4क में दिए गए हैं।

भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के पुनःपूंजीकरण बॉण्डों का एसएलआर विपणनयोग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का कार्य भी पूरा किया है (अनुबंध 4ख में ब्यौरा देखें)।

4. अल्पावधि उधार (364/182/91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां):

ये राजकोषीय हुंडियां वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि को अल्पावधि निवेश अवसर प्रदान करती हैं। मुख्यतः इन्हें सरकार के सामान्य नीलामी कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी किया जाता है और ये अप्रतिस्पर्द्धी बोलियों के लिए विकल्प भी प्रदान करती हैं। 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की अधिसूचित नीलामी राशि वर्ष 2002-03 से प्रत्येक पंद्रह दिन में 1000 करोड़ रुपए कर दी गई है। 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की साप्ताहिक नीलामी के लिए अधिसूचित राशि वर्ष 2003-04 से 500 करोड़ रुपए कर दी गई है और 2005-06 में प्रारम्भ से 182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की प्रत्येक पन्द्रह दिन में नीलामी हेतु अधिसूचित राशि 500 करोड़ रुपए रही है।

केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा लघु अवधि के नकद अधिशेषों के नियोजन के लिए 14-दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय हुंडियां भी जारी करती है। 2008-09 के दौरान 14-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों में निवेश राज्य सरकारों के विशाल नकदी शेष के कारण सामान्यतया अधिक रहा है।

वर्ष 2008-09 में निवल अल्पावधिक उधार का संशोधित अनुमान 57500 करोड़ रुपए है। 2009-10 के बजट अनुमान में इस खाते में कोई निवल प्राप्ति नहीं मानी गई है।

5. विदेशी ऋण

बजट 2009-10 में 27080.41 करोड़ रुपए की सकल प्राप्तियों और 11033.84 करोड़ रुपए की पुनर्अदायगी का अनुमान लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप, 16046.57 करोड़ रुपए की निवल विदेशी ऋण की प्राप्ति होगी।

विदेशी ऋण से निवल प्राप्तियां सं.अ. 2008-09 में 9603.20 करोड़ रुपए आंकी गयी है।

वर्ष 2008-2009 तथा 2009-10 में विदेशी ऋण की प्राप्तियों और मूलधन की पुनःअदायगियों के अनुमानों का सारांश नीचे दिया गया हैः

(करोड़ रुपए)

	बजट 2008-09	संशोधित 2008-09	बजट 2009-10
क. सकल प्राप्तियां	**19209.93**	**19578.35**	**27080.41**
ख. वापसी-अदायगियां	**(-) 8220.66**	**(-) 9975.15**	**(-)11033.84**
ग. निवल प्राप्तियां:	**10989.27**	**9603.20**	**16046.57**

और ब्यौरे इस दस्तावेज के अनुबंध 2 में दिए गए हैं।

6. (I) राष्ट्रीय लघु बचत निधि

लघु बचत योजनाएं:

इस समय जारी लघु बचत योजनाएं हैं: डाकघर बचत खाता, डाकघर आवधिक जमा (1,2,3 तथा 5 वर्ष), डाकघर आवर्ती जमा, डाकघर मासिक आय खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम), किसान विकास पत्र तथा लोक भविष्य निधि।

लघु बचत योजनाओं को और अधिक आकर्षक और निवेशक अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने हाल में इन योजनाओं में निम्नलिखित संशोधन किए हैं :-

(i) डाकघर बचत खाता नियमावली तथा डाकघर समय जमा खाता के अंतर्गत दिनांक 26 जून, 2008 को किसी नेत्रहीन अथवा अन्यथा शारीरिक रूप से विकलांग वयस्क व्यक्ति द्वारा अथवा किसी साक्षर एजेंट के माध्यम से खातों के लेन-देन की अनुमति है।

(ii) डाकघर बचत खाता नियमावली के तहत दिनांक 26 अगस्त, 2008 से एनआरईजी अधिनियम के तहत नियुक्त कामगारों के लिए "शून्य जमा/शून्य शेष" खाता खोलने की अनुमति है।

(iii) डाकघर आवर्ती जमा योजना के तहत दिनांक 26 जून, 2008 से रक्षा सेवा के कार्मिकों के लिए खातों के पुनरुज्जीवन हेतु चूकों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है।

राष्ट्रीय लघु बचत निधि:

लघु बचत योजनाओं के अधीन सभी जमाराशियां भारतीय लोक लेखा में दिनांक 1.4.1999 को स्थापित "राष्ट्रीय लघु बचत निधि" (एनएसएसएफ) में जमा की जाती हैं। जमाकर्ताओं द्वारा सभी आहरण इस निधि में जमाराशियों से किए जाते हैं। इस निधि में शेष राशि का विशेष सरकारी प्रतिभूतियों में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्णीत मानदंडों के अनुसार निवेश किया जाता है। 31 मार्च, 1999 को समाप्त विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत शेष बकाया राशियों की देयता केन्द्र सरकार द्वारा इन्हें विशेष केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ के निवेश के रूप में मान कर वहन किया गया। निवल लघु बचत संग्रहणों का एक हिस्सा वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान केन्द्र सरकार की विशेष सरकारी प्रतिभूतियों में भी निवेशित किया गया। प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित) में लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत सम्पूर्ण निवल संग्रहणों (अभिदाताओं द्वारा जमा राशियों में से आहरणों को घटाकर) को सम्बद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को इसकी विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के रुप में अग्रिम तौर पर दिया जाता है और बकाया, यदि कोई हो, केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। विशेष प्रतिभूतियों के मोचन पर-एनएसएसएफ में प्राप्त राशि को केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में पुनर्निवेशित किया जाता है और 2007-08 से अन्य लिखतों में मोचन मूल्यों को निवेश करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। राष्ट्रीय लघु बचत निधि (अभिरक्षा तथा निवेश) नियम, 2001 में उपयुक्त संशोधन करके समर्थकारी प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। तदनुसार प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत (वार्षिक रूप से देय) की दर पर ऋण के रूप में 1500 करोड़ रुपए का ऋण निवेश के रूप में 2007-08 में अवसंरचना विकास परियोजनाओं/योजनाओं के वित्तपोषण के लिए भारत अवसंरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को दिया गया और इसकी पुनःअदायगी 15 वर्ष की अवधि के बाद आईआईएफसीएल द्वारा एकमुश्त देय होती है।

सरकारी प्रतिभूतियों का ऋणशोधन, निधि की आय है जबकि अभिदाताओं को भुगतान की गयी ब्याज की लागत और लघु बचत योजनाओं के प्रबंधन की लागत, निधि का व्यय है।

एनएसएसएफ को जारी विशेष केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियां भारत सरकार के आन्तरिक ऋण का हिस्सा होती हैं।

1 अप्रैल, 2003 से इन विशेष प्रतिभूतियों पर उनके निवल संग्रहणों के हिस्से पर 9.50 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज देय है।

स्रोत और उपयोग:

(i) राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत और उपयोग नीचे दी गई **सारणी-I** में दर्शाए गए हैं:-

(ii) राष्ट्रीय लघु बचत निधि के विभिन्न संघटकों (अर्थात् एनएसएसएफ की प्राप्तियों, संवितरण, निवेश, आय और व्यय) के बारे में ब्यौरा जिसमें वर्ष 2007-08 के वास्तविक आंकड़े, ब.अ. तथा सं.अ. 2008-09 तथा ब.अ. 2009-10 शामिल है, उन्हें **अनुबंध-8** में सारणीबद्ध किया गया है।

सारणी-I

राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत तथा उपयोग

(करोड़ रुपए)

विवरण	वास्तविक 2007-2008	2008-2009 (सं. अ.)	2009-10 (ब. अ.)
क. निधियों के स्रोत			
लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जमा राशियां			
बचत जमा राशियां			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	347611.58	337819.50	345019.50
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	-9792.08	7200.00	12400.00
बचत प्रमाण-पत्र			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	212702.96	208893.85	212093.85
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	-3809.11	3200.00	4100.00

(करोड़ रुपए)

विवरण	वास्तविक 2007-2008	2008-2009 (सं. अ.)	2009-10 (ब. अ.)
लोक भविष्य निधि			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	114296.60	126875.22	132975.22
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	12578.62	6100.00	8500.00
कुल जमा राशि	**673588.57**	**690088.57**	**715088.57**
ख. निधियों का उपयोग			
(i) **दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष राशियों के प्रति केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश**			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	83569.19	73569.19	66195.12
घटाइएः वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-10000.00	-7374.07	...
(ii) **दिनांक 1.4.1999 से संग्रहणों में से केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश**			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	24735.99	23433.51	22131.03
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	...	...	2500.00
घटाइएः वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-1302.48	-1302.48	-1302.48
(iii) **दिनांक 1.4.1999 से संग्रहणों में से राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश**			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	452063.88	457391.92	460518.85
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	12193.76	10500.00	22500.00
घटाइएः वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-6865.72	-7373.07	-10756.17
(iv) **प्रतिभूतियों के मोचन से प्राप्त राशियों में से केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में पुनर्निवेश**			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	98296.34	98296.34	108296.34
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	...	10000.00	12058.00
घटाइएः वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	...	...	...
(v) **इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. को 15 वर्ष के लिए 9 प्रतिशत ऋण (2023)**			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक शेष	...	1500.00	1500.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	1500.00	...	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	...	...
कुल निवेश	**654190.96**	**658641.34**	**683640.34**
संचित अधिशेष आय(-)/व्यय (+) लेखा	29763.62	30607.60	30711.06
नकद शेष	-10366.01	839.63	736.81
जोड़	**673588.57**	**690088.57**	**715088.57**

(II) सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजनाएं

सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए दो गैर-सांविधिक जमा योजनाएं, अर्थातःसेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना तथा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही थीं। दिनांक 10 जुलाई, 2004 से इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत नई जमा राशियां लेना बंद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 13 सितंबर 2004 को अथवा इसके पश्चात तीन वर्ष की परिपक्वता अवधि पूरी होने पर इन स्कीमों के अंतर्गत विद्यमान खातों में जमा राशियों पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इन योजनाओं के अधीन संग्रहणों के बजट अनुमान नीचे सारणी II में दिखाए गए हैं :

सारणी II

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2007-2008	2008-2009 (सं. अ.)	2009-2010 (ब. अ.)
सकल	0	7	7
निवल @	(-) 270	(-) 85	(-) 65

@ ऋणात्मक निवल संग्रहण का अर्थ योजनाओं को बंद किए जाने के कारण बिना कोई नई जमाराशियों के निवेशकों द्वारा जमा राशियों का आहरण।

7. **अन्य प्राप्तियां**

(i) ***8 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड, 2003*** की शुरुआत 21 अप्रैल, 2003 से शुरु की गई थी ताकि निवासी नागरिक/पुण्यार्थ संस्थाएं/विश्वविद्यालय आदि बिना किन्हीं उच्चतम मौद्रिक सीमाओं के अपनी बचत का निवेश इन कर योग्य बांडों में कर सकें। अर्धवार्षिक भुगतान योग्य 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज वाले इन बांडों की परिपक्वता अवधि छः वर्ष होगी। संचयी और असंचयी दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। ये बांड अंतरणीय नहीं हैं। ये द्वितीयक बाजार में लेन-देन योग्य भी नहीं हैं। तथापि, 19 अगस्त, 2008 से वे ऋण लेने के लिए सहवर्ती प्रतिभूति के रूप में पात्र हैं।

(ii) ***6.5 प्रतिशत बचत (कर योग्य-भिन्न) बांड, 2003*** की शुरुआत निवासी नागरिकों को किन्हीं मौद्रिक उच्चतम सीमाओं के बिना कर-मुक्त बांडों में अपनी बचत का निवेश करने में समर्थ बनाने के लिए 24 मार्च, 2003 को की गई थी। इस स्कीम को 9 जुलाई, 2004 को कारोबार समाप्त होने के साथ ही बंद कर दिया गया है। इन बचत बॉन्डों का मोचन किया जाने वाला है और वापसी अदायगी के लिए इनकी परिपक्वता 24 मार्च 2008 से आरंभ हो गई थी।

सरकार ने यह भी अधिसूचित कर दिया है कि राहत बांडो की सभी श्रृंखलाओं पर पश्च-परिपक्वता ब्याज 1 मार्च, 2003 से बंद कर दिया जाएगा।

(iii) रेलवे प्रारक्षित निधियां:

(करोड़ रुपए)

	बजट 2008-09	संशोधित 2008-09	बजट 2009-10
रेलवे पेंशन निधि			
जमा	9855.07	10678.23	13641.01
नामे	9600.00	12500.00	14000.00
निवल	(+) 255.07	(-) 1821.77	(-) 358.99
रेलवे मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि			
जमा	7291.39	7372.20	5575.20
नामे	8500.00	8033.00	7800.00
निवल	(-) 1208.61	(-) 660.80	(-) 2224.80
रेलवे विकास निधि			
जमा	1148.81	1635.12	2138.29
नामे	2840.00	2910.00	3315.00
निवल	(-)1691.19	(-)1274.88	(-)1176.71
रेलवे पूंजीगत निधि			
जमा	11591.83	5565.89	957.55
नामे	9200.00	7956.00	4000.00
निवल	(+) 2391.83	(-) 2390.11	(+) 3042.45
रेलवे सुरक्षा निधि			
जमा	776.47	776.47	960.93
नामे	1300.00	1299.00	1458.36
निवल	(-) 523.53	(-) 522.53	(-) 497.43
जोड़	**(-) 776.43**	**(-) 6670.09**	**(-) 7300.38**

(क) *रेलवे पेंशन निधिः* रेलवे कर्मचारियों के पेंशन प्रभारों को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है। हर साल इस निधि में उपयुक्त रकम अन्तरित की जाती है और यह रकम राजस्व और पूंजी व्यय शीर्षों में नामे डाल दी जाती है। पेंशन संबंधी प्रभारों को शुरु में राजस्व शीर्ष के भाग के रूप में पूरा किया जाता है और बाद में निधि से उसकी भरपाई की जाती है। वर्ष 2008-2009 में निधि में 10678.23 करोड़ रुपए की रकम जमा होने का अनुमान है जिसमें निधि की बकाया रकमों पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में 78.23 करोड़ रुपए शामिल था। निधि से 12500 करोड़ रुपए निकाले जाने का अनुमान है। वर्ष 2009-10 के दौरान इस निधि में 91.01 करोड़ रुपए के ब्याज सहित 13641.08 करोड़ रुपए की रकम जमा होने के अनुमान हैं। इसकी तुलना में 14000 करोड़ रुपए की रकम की निकासी का अनुमान है।

(ख) *रेलवे मूल्यह्रास प्रारक्षित निधिः* इस निधि में सुधारात्मक कार्यो सहित परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीकरण की व्यवस्था की जाती है। अनुमान है कि इस निधि में 2008-2009 में सामान्य राजस्व से 272.20 करोड़ रुपए के ब्याज की अदायगी सहित अंशदान 7372.20 करोड़ रुपए का होगा। 2008-2009 में निधि से 8033.00 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है। 2009-2010 के संबंध में, 5575.20 करोड़ रुपए का क्रेडिट होने का अनुमान है जिसमें ब्याज के मद में 150.20 करोड़ रुपए शामिल है। 7800.00 करोड़ रुपए की निकासी होने का अनुमान है।

(ग) *रेलवे विकास निधिः* रेलवे विकास निधि की स्थापना 1950 में की गई थी जिसका उद्देश्य यात्रियों और रेलों का उपयोग करने वाले लोगों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किए जाने वाले खर्च, श्रमिक कल्याण कार्य संबंधी खर्च, अलाभकारी प्रचालन सुधार एवं सुरक्षा कार्यो का खर्च पूरा करना है। इस निधि के लिए धन की व्यवस्था रेलों के आधिक्य, यदि कोई हो, के उस भाग के विनियोग से की जाती है, जिसका सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है और जिसकी स्वीकृति

संसद द्वारा दी जाती है। यदि रेलवे आधिक्य के एक भाग की रकम निधि में अंतरित करने के बाद इस निधि में इकट्ठी होने वाली रकम उन कार्यों के खर्चों को पूरा करने के लिए काफी न हो जिसका खर्च इस निधि से पूरा किया जाता है, तो निधि में जमा करने के लिए सामान्य राजस्व निधि से ब्याज पर ऋण लिए जाते हैं। वर्ष 2008-2009 के दौरान रेलवे विकास निधि को 1635.12 करोड़ रुपए के क्रेडिट का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 1391.00 करोड़ रुपए अधिक हुई अनुमानित राशि में से और 244.12 करोड़ रुपए निधि में शेष राशि पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में होंगे। वर्ष 2008-2009 के दौरान निधि में से निकाली गई राशियां अनुमानतः 2910.00 करोड़ रुपए हैं। 2009-2010 के दौरान निधि में क्रेडिट 2138.29 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें ब्याज के मद में 138.29 करोड़ रुपए शामिल हैं। वर्ष 2009-2010 के दौरान 3315.00 करोड़ रुपए की निकासियों का अनुमान लगाया गया है, जो निधि को प्रभार्य कार्यों के लिए होंगी।

(घ) *रेलवे पूंजी निधिः* को 1992-93 में इसलिए सृजन किया गया था कि रेलवे के आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के लिए रेलवे आन्तरिक रूप से सृजित संसाधनों के एक भाग का उपयोग कर सके। पूंजीगत निधि का वित्तपोषण करने में रेलवे राजस्वों के कम पड़ने की स्थिति में निधि में क्रेडिट करने हेतु सामान्य राजस्व से सब्याज ऋण लिया जाता है। वर्ष 2008-2009 के दौरान निधि में जमा राशि 601.33 करोड़ रुपये के ब्याज सहित 5565.89 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि निधि से 7956.00 करोड़ रुपए के बहिर्गमन का अनुमान है। 2009-10 में निधि में निधि शेष पर देय 532.51 करोड़ रुपए के ब्याज सहित 6104.77 करोड़ रुपए की राशि जमा होगी, जबकि इस वर्ष में आहरण की राशि के 5750.00 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ङ) *रेलवे सुरक्षा निधिः* इसका सृजन मानव रहित लेवल क्रासिंग के परिवर्तन और व्यस्त लेवल क्रांसिंग पर रेलवे उपरि/अंडर ब्रिज के निर्माण से संबंधित सुरक्षा कार्यो के वित्तपोषण के लिये दिनांक 1.4.2001 से किया गया है। इस निधि का वित्तपोषण मुख्यतया केन्द्रीय सड़क निधि से सरकार द्वारा निधियों के अंतरण और सामान्य राजस्वों को भुगतान किये जा रहे लाभांश से रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यो के लिए इस समय किये जा रहे अंशदान से किया जाएगा। यह बिना ब्याज वाली निधि है। इस निधि में 2008-2009 के दौरान जमा राशि 776.47 करोड़ रुपए रखी गई है। जबकि निधि से 1299.00 करोड़ रुपए के आहरण किये जाने का अनुमान है। 2009-2010 के दौरान 960.93 करोड़ रुपए का क्रेडिट तथा 1458.36 करोड़ रुपए के आहरण का अनुमान है।

(iv) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं

(क) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भारत के अभिदान/अंशदान के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों तथा (ख) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुए कतिपय लेनदेन, जिनमें विशेष आहरण अधिकारों का उपयोग अंतर्निहित है, संबंधी अनुमान निम्न सारणी में दिए गए हैंः

(करोड़ रुपए)

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	बजट 2008-09			संशोधित 2008-09			बजट 2009-10		
	प्राप्तियां	भुगतान	निवल	प्राप्तियां	भुगतान	निवल	प्राप्तियां	भुगतान	निवल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	...	0.01	(-) 0.01	1077.49	9846.70	(-)8769.21	0.01	14955.26	(-)14955.25
2. अंतरराष्ट्रीयपुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	...	113.15	(-)113.15	...	125.15	(-)125.15	...	55.12	(-)55.12
3. अंतरराष्ट्रीय विकास संघ	...	...	...	3.88	...	3.88	0.01	...	0.01
4. एशियाई विकास बैंक	...	15.00	(-)15.00	...	14.03	(-)14.03	...	16.90	(-)16.90
5. अफ्रीकी विकास निधि और बैंक	19.76	6.62	13.14	14.30	7.95	6.35	14.51	8.98	5.53
6. बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (मीगा)	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**19.76**	**134.78**	**(-)115.02**	**1095.67**	**9993.83**	**(-)8898.16**	**14.53**	**15036.27**	**(-)15024.74**
एस.डी.आर.	***163.47***	***179.64***	***(-)16.17***	***141.76***	***1152.47***	***(-)1010.71***	***131.53***	***159.38***	***(-)27.85***

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) : कोष के करार-अनुच्छेद के 'मूल्य अनुरक्षण' उपबंध के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा सामान्य संसाधन खाते में धारित मुद्राओं के मूल्य को विशेष आहरण अधिकार (एस.डीआर.) के रूप में बनाए रखना जरुरी है और इस उपबन्ध के अनुसार कोष में किसी सदस्य की मुद्रा की धारिता में उस समय समायोजन किया जाता है जब किसी प्रचालन में उस मुद्रा का प्रयोग हो या कोष तथा दूसरे सदस्य के बीच लेन-देन हो अथवा जब कोष ऐसा करने का निर्णय करे या सदस्य ऐसा करने का अनुरोध करे। आईएमएफ ने भारत के साथ अपनी भारतीय रुपए की धारिताओं को एक्सडीआर 0.0152211 प्रति भारतीय रुपए की दर पर पुनर्मूल्यन किया और इस पुनर्मूल्यन के परिणामस्वरुप स.अ. 2008-09 चरण में 1077.49 करोड़ रुपए का प्रावधान तथा ब.अ. 2009-10 में 0.01 करोड़ रुपए रखे गए है।

वर्ष 2008-09 के दौरान पुनःखरीद लेनदेनों के कारण 4192.42 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। आईएमएफ खाता संख्या 1 में रुपया शेषों के आहरण द्वारा कमी से आवश्यक हुए मुद्रा विनिमय अंतरों और भारतीय रिजर्व बैंक के पास आईएमएफ खाता संख्या 1 की पुनःपूर्ति के लिए रुपया प्रतिभूतियों को भुनाना पड़ेगा। 2008-09 के संशोधित अनुमान में इस प्रयोजन हेतु 4192.42 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करायी गई है।

विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर)ः भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एस.डी.आर आवंटन का भागीदार है। 1981 से भारत को आवंटित निवल संचित एसडीआर 681.2 मिलियन बने रहे क्योंकि एस.डी.आर. का कोई नया आवंटन नहीं किया गया। एस.डी.आर. का उपयोग अतिरिक्त अभिदान की अदायगी सहित प्रभारों की अदायगी और पुनः क्रय संबंधी देनदारियों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रत्येक धारक को उसके द्वारा धारित एस.डी.आर. पर ब्याज की अदायगी करता है और प्रत्येक भागीदार के निवल संचित आवंटन पर उसी दर से प्रभार लगाता है। यह सभी भागीदारों के निवल संचित आवंटनों पर उनके एस.डी.आर. खाते के प्रशासन के संबंध में निर्धारण प्रभार भी लगाता है। प्रत्येक वर्ष के फरवरी, मई, अगस्त और नवम्बर के आरम्भ में निवल ब्याज अथवा निवल प्रभारों को व्यक्तिगत धारक खाते में जमा करके अथवा नामे डाल कर निपटाया जाता है।

भारत ने उसके द्वारा ली गई विभिन्न सुविधाओं के एवज में पुनःखरीद पहले ही पूरी कर ली है। अतएव, वर्ष 2008-2009 के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वर्ष 2009-2010 के बजट अनुमान में किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

खरीदारी तथा पुनः खरीदारी संबंधी लेन-देनों को लोक खाते में "विशेष आहरण अधिकार" नामक शीर्षक में नामे/जमा के रूप में दिखाया जाता है। विशेष आहरण अधिकारों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो अदायगियां की जाती हैं, उनको इस शीर्ष के अंतर्गत प्रतिपक्षी नामे डालकर सम्बद्ध व्यय शीर्षों में नामे डाल दिया जाता है। इसी प्रकार, विशेष आहरण अधिकारों के रूप में जो धनराशियां वसूल की जाती हैं उनको भी इस शीर्ष के अंतर्गत प्रतिपक्षी उधार पर नामे डालकर सम्बद्ध प्राप्ति शीर्षों में जमा के रूप में दिखा दिया जाता है। विशेष आहरण अधिकार नामक शीर्ष में संशोधित अनुमान 2008-2009 में कुल जमा की गई राशि 4291.19 करोड़ रुपए थी, जिसमें से एस.डी.आर. लेखे को 141.76 रुपए प्रतिपक्षी क्रेडिट किए जाएंगे। विशेष आहरण अधिकारों के नामे कुल राशि 2008-2009 के संशोधित अनुमान में 1152.47 करोड़ रुपए बैठती थी जिसमें से 1152.47 करोड़ रुपए की राशि एस.डी.आर. लेखे के प्रतिपक्षी रूप में जमा की जाएगी। वर्ष 2009-10 के दौरान 131.54 करोड़ रुपए का क्रेडिट और 159.38 करोड़ रुपए का डेबिट होगा।

अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.): मूल्य संबंधी अनुरक्षण (एमओवी) देयताओं के विशेष डालर मूल्यवर्ग की प्रतिभूतियों में अंतरित होने के साथ वर्ष 2009-2010 के बजट अनुमान में किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

आई.बी.आर.डी. द्वारा प्रतिभूतियों के नकदीकरण के लिए बजट अनुमान, 2008-2009 में 113.15 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल थी। सं.अ. 2008-09 में प्रावधान को बढ़ाकर 125.15 करोड़ रुपए कर दिया गया है जबकि ब.अ. 2009-10 में प्रावधान 55.12 करोड़ रुपए का रखा गया है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.): आईडीए-15 पुनःपूर्ति के अनुमोदन के परिप्रेक्ष्य में आईडीए को भारत का अंशदान संशोधित अनुमान 2008-09 में 3.88 करोड़ रुपए अनुमानित है, बजट अनुमान 2009-10 में प्रावधान 0.01 करोड़ रुपए का रखा गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी): भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण है, के आरंभिक सदस्यों में से एक है। भारत ने दिसम्बर 2007 तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के संसाधनों में 73 मिलियन डालर का अंशदान किया है। यह भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आईएफएडी के पक्ष में धारित चौथी पुनःपूर्ति तक अपरक्राम्य, निर्ब्याज रुपया प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए किया जाता है। पांचवें पुनःपूर्ति से आगे भारत सरकार ने नकद में भुगतान किया है।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी): एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखता है, जिनको समय-समय पर भारत में रुपयों में किए गए खर्चे को पूरा करने के लिए भुनाया जा सकता है। ब.अ. 2008-2009 में 15.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। संशोधित अनुमान 2008-09 और बजट अनुमान 2009-2010 के लिए क्रमशः 14.03 करोड़ रुपए और 16.90 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

अफ्रीकी विकास निधि (एएफडीएफ) और अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी): एएफडीएफ और एएफडीबी की स्थापना मुख्यतया इस उद्देश्य से की गई थी कि उदार शर्तो पर वित्तीय सहायता प्रदान कर इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से और विकास किया जा सके। अफ्रीकी देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत निधि और बैंक दोनों संस्थाओं में शामिल हो गया है।

एएफडीबी के मामले में, अफ्रीकी विकास बैंक के पूंजी स्टॉक की पांचवीं सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई-V) के अंतर्गत भारत का अभिदान 1351112 अमरीकी डालर बैठता है जिसका भुगतान 1,68,889 अमरीकी डालर प्रतिवर्ष की आठ समान किश्तों में किया जाना था। जीसीआई-V के लिए पहली किश्त सितम्बर, 2000 में अदा की गई थी और 8वीं किश्त का भुगतान 2007 में किया गया था।

अफ्रीकी विकास निधि के मामले में, एडीएफ-x में भारत का अंशदान, तीसरी और अन्तिम किस्त का भुगतान मई, 2007 में किया गया था। अब अफ्रीकी विकास निधि की एडीएफ-XI पुनःपूर्ति आरंभ हो चुकी है और एडीएफ-XI में भारत का अंशदान 40.17 करोड़ रुपए बैठता है जो 2008 से 2010 के दौरान 13.39 करोड़ रुपए प्रत्येक की तीन समान वार्षिक किस्तों में देय होगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008-09 के दौरान बहुपक्षीय ऋण राहत अभिक्रम को 0.90 करोड़ रुपए की राशि का अंशदान किए जाने की आवश्यकता है जबकि 2009-10 के दौरान 1.12 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तथापि, स.अ. 2008-09 में 14.30 करोड़ और ब.अ. 2009-10 में 14.51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

बहुपक्षीय निवेश गांरटी अभिकरण (मीगा): बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (मीगा) के पक्ष में सृजित प्रतिभूति के नकदीकरण हेतु 2008-09 और 2009-10 में कोई भुगतान परिकल्पित नहीं है।

(v) अन्य मदें:

इन अनुमानों में औद्योगिक और कोयला खान श्रमिकों के लिये परिवार पेंशन और जीवन बीमा निधि, डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा निधियां, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उपक्रमों की जमा राशियां, सुरक्षा जमा राशियां, न्यायालय जमा राशियां आदि के अन्तर्गत लेन-देनों का निवल प्रभाव शामिल है।